भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2799

05 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए निर्धारित

आंध्र प्रदेश में अनुसंधान और विकास, नवाचार पारितंत्र और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में एफडीआई

†2799. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान तिरुपति लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यकलापों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें कोई वृद्धि अथवा कमी देखी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रदान किए गए प्रोत्साहनों, अनुसंधान अवसंरचना और संस्थागत सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या तिरुपति सहित आंध्र प्रदेश में विदेशी वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, उत्कृष्टता केन्द्रों अथवा नवाचार केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में विशेषकर तिरुपति में सरकार द्वारा वित्तपोषित कोई अनुसंधान एवं विकास संस्थान, उत्कृष्टता केन्द्र या नवाचार कार्यक्रम स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) क्षेत्र का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अंतर्गत विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया। एफडीआई नीति के पैरा 5.2 (क) में उल्लिखित नहीं किए गए क्षेत्रों/गतिविधियों में, लागू कानूनों विनियमों, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों और अन्य शर्तों के अधीन, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश

राज्य में क्षेत्रवार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह से संबंधित आँकड़े तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2026 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्षवार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह से संबंधित आँकड़े यहां अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(घ) एवं (ङ): सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में एफडीआई को आकर्षित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। सरकार नीतिगत सुधारों, वित्तीय प्रोत्साहनों, अवसंरचना विकास, विनियामक बाधाओं के निवारण, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, रसद व्यवस्था में सुधार तथा व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन देकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार के माध्यम से वृहद् स्तर पर एफडीआई को आकर्षित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इनमें अग्रलिखित उपाय शामिल हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उन्नत विनिर्माण सहित बहु-क्षेत्रकों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ; अर्धचालक विनिर्माण संयंत्र (फैब्स), डिस्प्ले फैब्स, पैकेजिंग और अभिकल्पन के लिए व्यापक राजकोषीय सहायता प्रदान करने वाला सेमिकोन इंडिया कार्यक्रम; बायो-ई3 एवं राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जैसी अनुकूल नीतिगत रूपरेखाएँ; तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के उच्च स्तर को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, उद्योग जगत से संपर्क स्थापित करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के माध्यम से संस्थागत सहायता आदि। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अंतर्विषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन, परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान, एस एंड टी अवसंरचना सुधार कोष तथा राष्ट्रीय नवाचार विकास एवं दोहन पहल जैसी योजनाओं एवं मिशनों के सूत्रपात ने देश में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु एक सशक्त गतिशील एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।

(च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को तिरुपति सहित आंध्र प्रदेश में विदेशी वित्त-पोषित अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, उत्कृष्टता केंद्रों अथवा नवाचार केंद्रों की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) आंध्र प्रदेश में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति जैसे संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार कार्यक्रमों के अंतर्गत निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए किसी नए अनुसंधान एवं विकास संस्थान, उत्कृष्टता केंद्र अथवा नवाचार कार्यक्रम की स्थापना हेतु कोई अलग से प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष-वार
एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह
अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक
राज्य: आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26	संचयी एफडीआई
		राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	संचयी राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	धातुकर्म उद्योग	0.10	11.79	250.67	262.56
2	औद्योगिक मशीनरी	-	173.07	10.02	183.10
3	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3.65	1.64	107.30	112.59
4	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	-	-	99.90	99.90
5	सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य)	29.13	0.06	59.96	89.15
6	वाहन विनिर्माण उद्योग	12.24	8.88	11.08	32.19
7	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	-	18.22	8.28	26.50
8	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	14.48	-	6.88	21.36
9	विद्युत उपकरण	3.47	0.94	16.26	20.67
10	विविध यांत्रिक एवं इंजीनियरिंग उद्योग	0.43	0.22	15.26	15.91
11	निर्माण (अवसंरचना) गतिविधियाँ	7.79	4.28	1.62	13.69
12	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर	2.27	3.44	3.94	9.65

क्र. सं.	क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26	संचयी एफडीआई
		राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	संचयी राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	चीनी मिट्टी के उत्पाद	5.31	3.65	0.26	9.23
14	कृषि सेवाएँ	4.25	0.68	1.66	6.59
15	इलेक्ट्रॉनिक्स	0.0002	0.0008	5.89	5.89
16	औषधियाँ और भेषज	5.08	0.47	0.01	5.56
17	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	0.69	0.66	2.58	3.94
18	वस्त्र (रंगे और छपे हुए सहित)	0.99	0.97	0.96	2.92
19	अस्पताल और नैदानिक केंद्र	1.55	0.74	-	2.29
20	गैर-पारंपरिक ऊर्जा	-	0.001	1.79	1.79
21	प्राइम मूवर (विद्युत जनरेटर के अतिरिक्त)	0.18	-	1.36	1.54
22	विविध उद्योग	0.02	1.46	0.01	1.49
23	किण्वन उद्योग	-	-	1.18	1.18
24	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	-	0.99	0.007	1.00
25	होटल और पर्यटन	0.49	0.35	0.04	0.88
26	व्यापार	0.004	0.32	0.53	0.86
27	विद्युत	-	-	0.75	0.75
28	खुदरा व्यापार	0.01	-	0.36	0.37
29	समुद्री परिवहन	-	0.18	-	0.18
30	परामर्श सेवाएँ	0.001	0.10	-	0.10

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**संचयी एफडीआई**
		राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	**राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)**	**राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)**	**संचयी राशि (मिलियन अमरीकी डॉलर में)**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
31	इमारती लकड़ी उत्पाद	-	0.02	0.02	0.04
32	शिक्षा	-	-	0.009	0.009
33	निर्माण विकास: टाउनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाएं	0.001	-	0.001	0.002
34	खनन	0.001	-	0.0006	0.002
35	दूरसंचार	-	0.001	-	0.001
	कुल:	**92.13**	**233.14**	**608.59**	**933.86**

* कुल एफडीआई अंतर्वाह (inflow) के अंतर्गत इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा अन्य पूंजी सम्मिलित हैं। क्षेत्रवार/राज्यवार/देशवार विवरणों का रख-रखाव केवल एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक हेतु ही किया जाता है।

वित्तीय वर्ष-वार

एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

अप्रैल 2020 से मार्च 2026 तक

क्षेत्र: सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण, अन्य)

उप-क्षेत्र: अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

राज्य: आंध्र प्रदेश

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमरीकी डॉलर में)**
1	***2***	***3***
1	2020-21	0.43
2	2021-22	0.44
3	2022-23	0.82
4	2023-24	-
5	2024-25	-
6	2025-26	-
	कुल	**1.69**

*कुल एफडीआई अंतर्वाह (inflow) के अंतर्गत इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा अन्य पूंजी सम्मिलित हैं। क्षेत्रवार/राज्यवार/देशवार विवरणों का रख-रखाव केवल एफडीआई अंतर्वाह के इक्विटी घटक हेतु ही किया जाता है।
